बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–2 (गा०)सी०–2–205 / 2016– / कृ०, पटना, दिनांक 2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
सरकार के अवर सचिव,

सेवा में,

श्री वरूण कुमार
तत्कालीन उद्यान पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, पटना
सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, पटना प्रमंडल, पटना।

विषय:– **श्री ब्रजनंदन प्रसाद, सरकार के अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–568 दिनांक–18.01.2017 से प्राप्त अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक–152 दिनांक–11.01.2017 की प्रति अनुलग्नकों सहित तामिला कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक–152 दिनांक–11.01.2017 की प्रति अनुलग्नकों सहित श्री ब्रजनंदन प्रसाद, सरकार के अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–568 दिनांक–18.01.2017 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुई है।

उक्त पत्र के साथ माननीय सदस्य लोकायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश दिनांक–02.11.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि संचिका संख्या–1 / लोक(भवन) 03 / 11–श्री विकास कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना के विरूद्ध मालियों से रिश्वत लेकर मनचाहा प्रभार दिये जाने के संबंध में मामले की सुनवाई दिनांक–03.02.2017 को लोकायुक्त कार्यालय, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1 स्थित कार्यालय के न्यायालय कक्ष में की जायगी।

अतः प्राप्त की प्रति अनुलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि को आप व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की तिथि दिनांक–03.02.2017 को लोकायुक्त कार्यालय, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1 स्थित कार्यालय के न्यायालय कक्ष में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(राजीव कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 56 / कृ० पटना, दिनांक:– 03 / 02 / 2017

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–152 दि०–11.01.2017 एवं ब्रजनंदन प्रसाद, सरकार के अपर सचिव के पत्रांक–568 दिनांक–18.01.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:— 56 / कृ0,पटना,दिनांक:— 03/02/

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को अनुलग्नक के प्रा
साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\PRAKASH SEC-2.2017\February Govt-.docx

156
31/01/17

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

568 (न)

सं0सं0–भवन / 10 / लोक0(आरोप)–07 / 2017........

प्रेषक,

ब्रजनंदन प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर सचिव, – अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 18/1/17

विषयः– श्री विकास कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध मालियों से रिश्वत लेकर मनचाहा प्रभार दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय सदस्य लोकायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश, दिनांक–02.11.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त मामले की अगली सुनवाई तिथि–03.02.2017 को लोकायुक्त कार्यालय के न्यायालय कक्ष में की जायेगी। उक्त सुनवाई की तिथि को आरोपी पदाधिकारी, श्री विकास कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी एवं श्री वरूण कुमार, उद्यान पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निदेश प्राप्त है। चूँकि श्री विकास कुमार एवं श्री वरूण कुमार का वर्त्तमान पदस्थापन भवन निर्माण विभाग में नहीं है तथा वे कृषि विभाग के संवर्ग के पदाधिकारी हैं।

अतएव माननीय लोकायुक्त से प्राप्त आदेश की प्रति सम्बंधित दोनों पदाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे, ताकि सुनवाई की निर्धारित तिथि–03.02.2017 को वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18/1/17
(ब्रजनंदन प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सरकार के अपर सचिव
211
डायरी सं0........
तारीख 23/1/17
कृषि विभाग, बिहार, पटना

(56)

Sanjay Singh//Arûan Jee-2017//Prarup Nigrani

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।

गोपनीय/अत्यावश्यक

सुनवाई हेतु सम्मन

परिवाद संख्या–1/लोक(भवन)03/11......152......../लोक दिनांक......11/01/17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– (संचिका सं0–1/लोक(भवन)03/11)– श्री विकास कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना के विरूद्ध मालियों से रिश्वत लेकर मनचाहा प्रभार दिये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक माननीय सदस्य, लोकायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि इस मामले की सुनवाई **दिनांक 03.02.2017** को लोकायुक्त कार्यालय, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1 स्थित कार्यालय के न्यायालय कक्ष में की जायेगी।

अतः आपको निदेशित है कि आप माननीय सदस्य, लोकायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। साथ ही आदेश की प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारी को अनुपालनार्थ भेज दी जाय ताकि उक्त निधारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकें। इसमें विफल न हों।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर के साथ दिया गया।

तारिख...... 11/01/17

अनु0–यथोक्त
(कुल 2 पृष्ठ)।

अवर सचिव,
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।

खा/02.01.17

Lokayukta, Bihar, Patna
1/Lok (Building) 03/2011
Sri. Om Prakash
Vs.
Executive Officer, Udyan Pramandal, Building Construction Department, Patna

02.11.2016

Having regard to the allegation made by the complainant against Sri.Vikash Kumar, Executive Officer, Udyan Pramandal, Building Construction Department, Patna, and the report submitted by the Dy.S.P of the Vigilance of Lokayukta, in his letter No.139 dated 22.05.2016 it is found that further enquiry should be conducted by this Authority not only against Sri. Vikash Kumar but also against Sri. Varun Kumar, Udyan Padadhikari, Building Construction Department, Bihar, Patna, in presence of a senior official of both the office of Principal Secretary, Building Construction Department and Principal Secretary of the Agriculture Department.

The hearing of this case as a part heard and tied up matter shall now take place on 3rd of Feburary,

16

2017 when some senior ranked officer representing the Principal Secretary of the Agriculture Department and Principal Secretary of the Building Construction Department as also Mr. Vikash Kumar, Executive Officer, Udyan Pramandal, Building Construction Department, Patna and Mr. Varun Kumar, Udyan Padahikari, Building Construction Department, must remain present in person.

Let a copy of this order be sent to the Principal Secretary of the Agriculture Department and Principal Secretary of Building Construction Department whose office shall also ensure service of copy of this order for personal appearance of Mr. Vikash Kumar and Mr. Varun Kumar on the next date of hearing.

Sd/-
(Mihir Kumar Jha)